पटना समाहरणालय पटना
(जिला योजना कार्यालय)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय स०वि०प०, श्री गुलाम रसूल बलियावी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में महाविद्यालयों/सार्वजनिक पुस्तकालयों/माध्यमिक विद्यालयों/मध्य विद्यालयों/मदरसों के लिए पुस्तकों का क्रय कर आपूर्ति करने हेतु अनुशंसा की गयी है। तदालोक में पुस्तक क्रय कर संबंधित शिक्षण संस्थानों में आपूर्ति हेतु नमूने की एक–एक प्रति के साथ प्रतिष्ठित प्रकाशकों/वितरकों/विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा निम्न शर्त्तों के साथ आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक-27.8.20 के अपराह्न 01.00 बजे तक **जिला योजना पदाधिकारी के कार्यालय, पटना** में जमा की जाएगी एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में अपराह्न 03.00 बजे जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में स्वयं निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

निविदा की शर्त्तें:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में लाहयुक्त मुहरबंद कर प्रस्तुत की जायेंगी।

2. तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।

3. **तकनीकी निविदा की शर्तें:–**

(क) निविदादाता को जी०एस०टी० प्रमाण पत्र तथा पैन नम्बर प्राप्त होना चाहिए, तत्संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए।

(ख) अग्रधन के रूप में जिला योजना पदाधिकारी, पटना के पदनाम से रूपया 1,00,000/– (एक लाख) रूपये मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो पटना में भुगतेय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा।

(ग) विगत तीन वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का ITR संलग्न करना होगा। ITR प्रोपराईटरशीप या फर्म के नाम का होना अनिवार्य होगा।

(घ) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।

(ड.) निविदादाता को वार्षिक Turn Over कम–से–कम 50,00,000/– (पचास लाख) रूपये होने का साक्ष्य देना होगा।

(च) आपूर्तिकर्त्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपूर्ति का प्राधिकार पत्र जमा करना होगा।

4. **वित्तीय निविदा की शर्तें:–**

1. पुस्तकों के क्रय हेतु छूट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं:–

क	1 से 10 प्रतियाँ पर	10 प्रतिशत
ख	11 से 25 प्रतियाँ पर	15 प्रतिशत
ग	26 से 100 प्रतियाँ पर	20 प्रतिशत
घ	101 से 200 प्रतियाँ पर	25 प्रतिशत
ड़	201 से 500 प्रतियाँ पर	30 प्रतिशत
च	501 से ऊपर प्रतियाँ	35 प्रतिशत

प्रकाशक/आपूर्तिकर्त्ता उपर्युक्त निर्धारित छूट या उससे अधिक देना चाहें, तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि वह कितनी छूट दे सकते हैं।

2. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों से संबंधित निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाएगी:–

क्र०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता	विषय	प्रकाशन का वर्ष	कुल पृष्ठों की संख्या	साजिल्द/अजिल्द एवं मुद्रित मूल्य

3. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जाने वाली सभी पुस्तकों पर छूट की दर प्रतिशत में अंकित करेंगे।
4. तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. जिनकी निविदा स्वीकृत की जायेगी, उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर पुस्तक आपूर्ति संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित करनी होगी। आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी। साथ ही परिवहन में किसी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी। निविदादाता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
6. क्रय की जाने वाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं होगा।

5. अन्य निविदा की शर्तें:–

1. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
2. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाऐंगी।
3. प्रत्येक पुस्तक की अधिमानता आई०एस०बी०एन० मानक के साथ ही स्वीकार की जाएगी।
4. गुणवत्ता के लिए आई०एस०ओ० का प्रमाण पत्र निविदादाता को देना अनिवार्य होगा।
5. National Book Trust, NCERT, प्रकाशन विभाग या अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों की पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकें रेल/डाक पार्सल से स्वीकार नहीं की जाएगी।
7. प्रत्येक पुस्तक पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुहर लगाना अनिवार्य होगा।
8. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र जिला पटना होगा।
10. चयनित आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
11. पुस्तकों की विवरणी एवं विस्तृत जानकारी हेतु जिले के Website.- www.patna.bih.nic.in एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के Website.- www.prdbihar.gov.in देखा जा सकता है अथवा जिला योजना कार्यालय, पटना के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

ह०/-
उप विकास आयुक्त,
पटना।

ज्ञापांक–XIII-22/18–2339 यो०, पटना, दिनांक– 12/08/2020

प्रतिलिपिः– निदेशक, जिला जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को प्रमुख पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (D.I.O.), पटना को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 12/8/20
उप विकास आयुक्त,
पटना।